न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी के समक्ष

कुन्दन लाल नारंग - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 427. 25 अगस्त, 1987

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (1972 का XXXIX)—धारा 1(3) (बी) और (सी)—अधिनियम की प्रयोज्यता—स्थानीय निकाय—क्या धारा 1(3)(बी) में परिभाषित 'प्रतिष्ठान' हैं—धारा 1 के तहत अधिसूचना (3)(सी) अधिनियम के प्रावधानों को स्थानीय निकायों तक विस्तारित करना - क्या यह निर्णायक है कि ऐसे निकाय पहले धारा एल (3) (बी) के तहत कवर नहीं किए गए थे - अधिसूचना की तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वाले नगरपालिका समिति के कर्मचारी - क्या ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हैं।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधान उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जो राज्य में शामिल प्रतिष्ठानों से संबंधित किसी भी कानून के अंतर्गत आते थे। इसलिए नगर पालिका धारा 1(3)(बी) में आने वाली अभिव्यक्ति 'स्थापना' के अंतर्गत आती है।

(पैरा 3).

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा धारा एल(3)(सी) के तहत अधिनियम के प्रावधानों को स्थानीय निकायों तक विस्तारित करने के तहत जारी अधिसूचना निर्णायक रूप से यह संकेत नहीं देगी कि ऐसे प्रतिष्ठान जिन्हें अब कवर किया जा रहा है, पहले से ही धारा के प्रावधानों के तहत कवर नहीं किए जा सकते थे। अधिनियम के एल(3)(बी)। इसलिए, यह माना जाता है कि ऐसे नगरपालिका कर्मचारी जो अधिनियम के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हैं।

(पैरा 4 और 5).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादियों से रिकॉर्ड मंगाने और उसका अवलोकन करने की कृपा करेगा:-

(ए) विवादित निर्देशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करें (अनुलग्नक पी/2)।

(बी) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान, कानून के अनुसार, कम से कम संभव समय के भीतर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करें।

(सी) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और उचित समझा जाए।

(डी) अनुलग्नक पी/एल से पी/5 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए और उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता से छूट दी जाए।

(ई) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान करना।

आर. एल. शर्मा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

सुमित कुमार, राज्य प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस.हुड्डा वकील शीशपाल सिंह के साथ, नगरपालिका समिति-प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से

निर्णय

न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया,

(1) यह आदेश 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 427 और 1986 की 5450, 6064 और 6663 का निपटारा करेगा क्योंकि उनमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) रिट याचिकाओं में निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या हरियाणा राज्य में स्थित नगरपालिका समितियों और फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स प्रशासन के कर्मचारी, जो ग्रेच्युटी भुगतान

अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे (के लिए) संक्षेप में 'अधिनियम') उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार थे। प्रतिवादी-राज्य और संबंधित स्थानीय निकायों की ओर से लिया गया रुख यह है कि वे केवल उस तारीख से ऐसी ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार थे, जब प्रावधान को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी करके उक्त अधिनियम के प्रावधानों को अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय निकायों तक विस्तारित किया गया था। 23 जनवरी, 1982 को अधिनियम की धारा 1(3)(सी) के तहत, और केवल ऐसे कर्मचारी जो 2,3 जनवरी, 1982 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार थे। उक्त अधिनियम.

(3) मामला पुनः पूर्णांक का नहीं है। चमन लाई बनाम नगरपालिका समिति, पानीपत में यह प्रश्न सीधे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए उठा। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया प्रश्न यह था कि क्या नगरपालिका कर्मचारी उक्त अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार थे। विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (बी) में होने वाली अभिव्यक्ति 'स्थापना' के अंतर्गत आती है, जो पढ़ती है: -

“1(3) (बी) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान, जिसमें किसी भी दिन दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, या नियोजित थे पिछले बारह महीनों में से।"

विद्वान न्यायाधीश ने माना कि अधिनियम के प्रावधान उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं, जो राज्य में प्रतिष्ठानों से संबंधित किसी भी कानून के अंतर्गत आते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (इसके बाद 'मजदूरी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 2(ii)(जी) के प्रावधानों का उल्लेख किया, जो हरियाणा राज्य सहित सभी राज्यों पर लागू था। वेतन अधिनियम की धारा 2(ii)(जी) निम्नलिखित शर्तों में है:-

“2(ii)(जी): प्रतिष्ठान जिसमें इमारतों, सड़कों, पुलों या नहरों के निर्माण, विकास या रखरखाव से संबंधित कोई भी कार्य, या नेविगेशन, सिंचाई या पानी की आपूर्ति से जुड़े संचालन से संबंधित, या संबंधित बिजली या किसी अन्य प्रकार की बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण किया जा रहा है;"

चमन लाई के मामले (सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीश ने उप-खंड (जी) में दर्शाई गई "स्थापना" की परिभाषा का उल्लेख करने के बाद कहा: -

परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव का कार्य करने वाला निगम 'स्थापना' शब्द में शामिल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक नगर पालिका सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव की देखभाल करती है, और इसलिए, यह उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान प्रतिवादी पर लागू होते हैं।

सम्मान के साथ, हम उस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। हालाँकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 1(3)(सी) के तहत जारी 23 जनवरी, 1982 की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया, जिसके तहत अधिनियम के प्रावधानों को स्थानीय निकायों पर लागू किया गया था और यह तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी करना इस तथ्य का संकेत है कि स्थानीय निकाय जैसे प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा एल (3) (सी) के अंतर्गत आते हैं, न कि धारा 1 (3) (बी) के अंतर्गत। अधिनियम, अन्यथा ऐसी अधिसूचना जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

(4) हमारी राय में, इस विवाद में कोई दम नहीं है। अधिनियम की धारा 1(3)(बी) के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिनियम ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होना था जो स्थापना से संबंधित किसी भी कानून के अंतर्गत आते थे और किसी दिए गए राज्य में लागू होते थे। सवाल उठता है कि उस प्रतिष्ठान का क्या होना था जो ऐसे किसी कानून के दायरे में नहीं था। ऐसे प्रतिष्ठान धारा 1(3) (सी) के अंतर्गत आते थे और अधिनियम केवल तभी लागू होता था जब केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती थी जैसा कि अधिनियम की धारा 1(3) (सी) द्वारा परिकल्पित किया गया था।

इसलिए अधिनियम की धारा 1(3)(सी) के तहत विचाराधीन अधिसूचना निर्णायक रूप से यह संकेत नहीं देगी कि ऐसे प्रतिष्ठान जिन्हें अब कवर किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम की धारा 1(3)(बी) के प्रावधान के तहत पहले से ही कवर नहीं किया जा सकता था। .

(5) उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि अधिनियम के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हुए हरियाणा के सभी नगरपालिका कर्मचारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हैं।

(6) इसलिए, हम इन याचिकाओं (1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 427 और 1986 की 5450, 6064 और 6663) को स्वीकार करते हैं और उत्तरदाताओं को आज से तीन महीने के भीतर 12 प्रतिशत के साथ याचिकाकर्ताओं को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। देय तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh